कार्यालय अधिष्ठाता नेताजी सुभाषचन्द्र बोस चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर

क्रमांक /स्था.राज/2018 8629 जबलपुर दिनांक 05/11/2018

// आदेश //

डॉ. मो. सुहेल सिद्दीकी (स्वशासी) डेजिग्नेटेड सह–प्राध्यापक, कार्डियोलॉजी विभाग, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज, जबलपुर को 15.10.2015 से लगातार SHALBY Muti-Specialty Hospital, जबलपुर में प्रतिदिन सोमवार से शनिवार, सायं 4 बजे से 8 बजे तक निजी प्रैक्टिस किये जाने तथा इस संदर्भ में उनके द्वारा मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ–2–17/2000/55/चिशि/1 दिनांक 15.09.2000 एवं मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ–2–91/12/2012/एक/55 दिनांक 20.12.2012 में वर्णित शर्तो के उल्लघंन के लिये दिनांक 11.10.2018 को मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय सेवा आदर्श नियम 2018 के नियम 13.2 के उपनियम iii के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया ।

डॉ. मो.सुहेल सिद्दीकी (स्वशासी) डेजिग्नेटेड सह–प्राध्यापक, कार्डियोलॉजी विभाग द्वारा दिनांक 17.10.2018 को कारण बताओ सूचना पत्र के संदर्भ में अपना प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया है । मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के ज्ञाप दिनांक 20.12.2012 एवं मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय सेवा आदर्श नियम, 2018 के सुसंगत प्रावधानों के संदर्भ में डॉ. मो.सुहेल सिद्दीकी द्वारा प्रस्तुत उत्तर का विस्तृत परीक्षण कर निम्नानुसार स्थिति प्रकट हुई :–

(1) SHALBY Muti-Specialty Hospital जबलपुर द्वारा प्रस्तुत जानकारी अनुसार डॉ. मो.सुहेल सिद्दीकी ने SHALBY Muti-Specialty Hospital, जबलपुर के साथ प्रतिदिन सोमवार से शनिवार सायं 4.00 से 8.00 बजे तक Visiting Consultant के रूप में अपनी सेवाएँ देने का अनुबंध दिनांक 15.10.2015 को 3 वर्ष हेतु किया गया । इसके एवज में उनकें द्वारा प्रतिमाह रूपये 3,25,000/– व्यवसाय शुल्क तथा ओ.पी.डी., प्रोसीजर तथा हॉस्पिटल में करायी गयी जाँचों से अस्पताल को होने वाली आय की 80 प्रतिशत राशि प्राप्त करने के बारें में सहमति दी गयी।

मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के ज्ञाप दिनांक 15.09.2000 में वर्णित शर्तो की शर्त क्र. (1) का डॉ. सिद्दीकी द्वारा स्पष्ट उल्लघंन किया गया जिसके अंतर्गत चिकित्सक को अपने कर्तव्य अवधि के पश्चात् निजी प्रैक्टिस के लिए लिखित में आवेदन कर अधिष्ठाता से अनुमति प्राप्त करनी चाहिए थी जो उनके द्वारा नही प्राप्त की गयी ।

––2––

(2) मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के ज्ञाप दिनांक 20.12.2012 की कण्डिका (4) में क्लीनिकल विभागों के चिकित्सकों को सायं 5 से 7 बजे तक चिकित्सालय का सायंकालीन राउन्ड अनिवार्य किया गया था । जबकि डॉ. मो.सुहेल सिद्दीकी द्वारा वर्ष 2015 से लगातार सायं 4 से 8 बजे तक अपनी सेवाएँ SHALBY Muti-Specialty Hospital जबलपुर को प्रदाय की गयी है । कार्यालयीन रिकार्ड अनुसार भी स्पष्ट होता है कि डॉ. मो.सुहेल सिद्दीकी द्वारा कभी भी शासन द्वारा नियत समय पर राउन्ड नहीं लिया गया है ।

(3) मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के ज्ञाप दिनांक 15.09.2000 कण्डिका (3), (4) एवं (5) के तहत निजी प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सक को निजी प्रैक्टिस के एवज में एक निश्चित राशि का भुगतान संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय को करने का प्रावधान है किन्तु डॉ. मो.सुहेल सिद्दीकी द्वारा इस शर्त का स्पष्ट उल्लघंन किया गया है । कार्यालयीन रिकार्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि डॉ. मो.सुहेल सिद्दकी द्वारा आज दिनांक तक निजी प्रैक्टिस के एवज में कोई भी राशि अधिष्ठाता कार्यालय में जमा नही की है ।

(4) मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के ज्ञाप दिनांक 15.09.2000 कण्डिका (4) के अनुसार किसी भी चिकित्सक द्वारा नर्सिंग होम्स में ऑपरेशन करने के पूर्व में प्रकरणवार चिकित्सा महाविद्यालय के अधिष्ठाता से प्रकरणवार अनुमति प्राप्त करनी थी परन्तु SHALBY Muti-Specialty Hospital जबलपुर से प्राप्त मात्र तीन माह यथा जुलाई, अगस्त एवं सितम्बर 2018 की जानकारी से स्पष्ट होता है कि आपके द्वारा इन तीन माहों में ही 17 Procedures संपादित किये गये । तीन माह की स्थिति से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2015 से 2018 तक की अवधि में आपके द्वारा निजी अस्पताल में बड़ी संख्या में ऑपरेशन किये गये होंगे । उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार आपके द्वारा SHALBY Muti-Specialty Hospital जबलपुर से किये गये अनुबंध दिनांक से आज दिनांक तक एक भी प्रकरण में अनुमति अधिष्ठाता, मेडिकल जबलपुर से प्राप्त नहीं की है ।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि आपने जानबूझकर निजी लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से चिकित्सा शिक्षकों के अपेक्षित नैतिक आचरण एवं संनिष्ठा पूर्वक शासकीय कर्तव्यों के निर्वाहन का घोर उल्लघंन किया है । आपका आचरण नैतिक पतन होने के साथ–साथ वित्तीय अनियमितता एवं गंभीर अनुशासनहीनता है । इस प्रकार आपने स्वयं को मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय सेवा आदर्श नियम 2018 की कण्डिका 13.2 की उप कण्डिका (i), (ii), (iii) एवं (iv) के अपचार का दोषी का बना लिया है ।

आपके उपरोक्त वर्णित अपचार के लिए कण्डिका 13.3 उप कण्डिका (i), (iii) एवं (iv) के तहत दण्ड अधिरोपित किया जाना सर्वथा उचित था परन्तु इसी बीच आपके द्वारा दिनांक 29.10.2018 को एसोसियेट प्राध्यापक (डेजिगनेट) कॉर्डियोलॉजी विभाग के पद से त्याग पत्र प्रस्तुत किया गया है । चूँकि कण्डिका 13.3 में वर्णित दण्ड में सेवा समाप्त करना तथा आपके द्वारा प्रस्तुत त्याग पत्र मंजूर करना, दोनों का प्रभाव एक ही है । अतः

नियुक्ति आदेश की शर्त क्र. 3 में निहित उल्लेखानुसार आपके द्वारा एक माह का वेतन रूपये 81,247/– ट्रेजरी चालान से दिनांक 30.10.2018 को जमा किये जाने एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत किये जाने के दृष्टिगत आपके द्वारा दिया गया त्याग पत्र दिनांक 31.10.2018 से स्वीकृत किया जाता है तथा आपकी सेवाएँ समाप्त की जाती है ।

अधिष्ठाता/मुख्य कार्यपालन अधिकारी
ने.सु.बो. मेडिकल कॉलेज, जबलपुर

पृ. कमांक /स्था.राज/2018 जबलपुर,दिनांक 05/11/2018

प्रतिलिपिः– **सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही।**

1 अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
2 आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा भोपाल मध्यप्रदेश ।
3 आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर ।
4 कलेक्टर जिला जबलपुर ।
5 संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय जबलपुर ।
6 प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष मेडिसन विभाग चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर ।
7 डॉ. मो.सुहेल सिद्दकी डेजिग्नेट सह–प्राध्यापक कार्डियोलॉजी विभाग नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर ।
8 प्रभारी अधिकारी लेखा शाखा स्थानीय कार्यालय की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
9 प्रभारी अधिकारी सेन्ट्रल लाईब्रेरी/कैश/छात्र शाखा की ओर सूचनार्थ ।

अधिष्ठाता/मुख्य कार्यपालन अधिकारी
ने.सु.बो. मेडिकल कॉलेज, जबलपुर